उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-1

संख्या-12/2023-2148/ई-1/तेरह-23-146/2016 टी.सी-2

लखनऊ, दिनांक : 16 अक्टूबर, 2023

कार्यालय-आदेश

आबकारी विभाग के निम्नलिखित आबकारी निरीक्षक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर (वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे-5400 नया वेतनमान 56100-177500, लेबल-10) वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	नाम
1	श्री श्याम प्रताप मल्ल(ज्येष्ठता क्रमांक-451)

2. उपर्युक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल आबकारी निरीक्षक के पद से कार्यमुक्त होकर सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3. उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी की नियमित तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगें। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत अपने कार्य का निवर्हन करते रहेंगे। इस हेतु उन्हें अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

दिव्य प्रकाश गिरि
विशेष सचिव।

संख्या-12/2023-2148(1)/ई-1/तेरह-23-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
2- आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त नव-प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ.प्र., प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
4- सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।
5- सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त, प्रभार (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।
6- सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त, जनपद (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।
7- सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा-आबकारी आयुक्त)।
8- गार्ड बुक, आबकारी अनुभाग-1

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in